भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AC 407856

निरस्त सो (वादी) /
(चारबाग हूमन आईस्लामी इंटर कॉलेज वाले बिल्डिंग शीतलाबाद रोड) मोहल्ला 29010
संशो० नियमावली

14-7-16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AC 407855

यह जनरल स्टाम्प पेपर निराला सोलारटी /
(नारला इयूमन [illegible] [illegible] शीतलखाँ रोड /
जिला [illegible] फाइल नं० [illegible] 29010 के साथ संलग्न है।
[illegible]
प्र०नि० [illegible] 2016-17

उप निबन्धक

14.7.16

स्मृति पत्र

संशो0स्मृति पत्र

1—संस्था का नाम— चिराग सोसाइटी।
(चाइल्ड हयूमन आईडलाइज टू राइट अपील फॉर ग्रेट आनरेबिल)

2—संस्था का पता— शीतल खॉ रोड फिरोजाबाद।

3—संस्था का कार्यक्षेत्र— समस्त उत्तर प्रदेश।

4—संस्था के उददेश्य—

1— संस्था का उददेश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्रछात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहत्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2— संस्था का उददेश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी, प्राईमरी से लेकर जू0 हा0 स्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एवं आवश्यकता होने पर डिग्रीकालेज तक के शिक्षा संस्थानों एवं बालिका विद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

3— संस्था का उददेश्य निर्धन अनाथ, अपंग बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय वाचनालय, क्रीडास्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना तथा अनाथ बच्चा के लिए अनाथालय केन्द्र की स्थापना करना।

4— बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हे निशुल्क तकनीकि एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हे आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्रीय विकास में सहयोग करना।

5— कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना।

6— संस्था का उददेश्य समय समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों गोष्ठियों स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों राहत शिविरों जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोंजन करना तथा प्रोढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम बालश्रम उन्मूलन कार्यकम महानिषेध कार्यकम चलाना।

7— केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम बोर्ड सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हे आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, कताई, एवं हस्तशिल्प कला वास्तुकला दस्ताकारी, कालीन, ड्रॉइग पेटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर/दिलाकर आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।

8— केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं व कार्यकमों को संचालित करना व लोगो को इसकी जानकारी देना।

9— पर्यावरण रक्षा हेतु समय—समय पर वृक्षारोपण कार्यकमों व पर्यावरण जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

10— जाति वर्ग भेदभाव को दूरकर जनता में राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम की भावना पैदा करना।

11— महिलाओं एवं बच्चों के सर्वागींण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे क्षेत्रों एवं मलिन वस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन मातृशिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यकम, बालटीकाकरण, कार्यकमों आदि को चलाना।

12— अनाथ निरीह पशुओं की सेवा करना एवं उनके लिए हरे चारे, चरागाह की व्यवस्था करना तथा बीमार पशुओं व गॉव के लिए निशुल्क पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना। व पशुओं व जंगली जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रयास करना। व

सत्य प्रतिलिपि

Shabana

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा क्षेत्र आगरा
3/1/15

सम्बन्धित विभागों को इसकी जानकारी देना। एवं वन्य प्राणियों की रक्षा करने में हर सम्भव सहयोग करना।

13– मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शिक्षा संविधान की धारा 19 व 30 के अन्तर्गत अल्प संख्यक स्कूलों प्राईमरी दरजात से डिग्री दरजात तक के तालीमें इदारे कायम करना निस्वा स्कूल, मदरसा, मकतुम उर्दू, अरबी, फारसी, बोर्ड फौकनिया आलिया की स्थाप्ना करना व उनका संचालन करना शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

14– उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम व वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करना।

15– उक्त समिति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 एक के अनुसार मुख्यता मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार व अन्य विकास कार्यो के लिये बनाया है अतः संस्था के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं संचालित कर नागरिको का सर्वागीण विकास किया जायेगा।

16– युवाओं को उनके स्वयं के विकास के लिए संचालित आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमो से लाभान्वित कराना जैसे –स्वरोजगार योजना प्रदर्शन क्षेत्रों का आयोजन आदि।

17– नेहरू युवा केन्द्र के कार्य कलापों में सहयोग करना।

18– शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

19– शिक्षा विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज, पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।

20– निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।

21– शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यकम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस. ई. शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना।

22– युवक–युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय, वाचनालय,छात्रावास, क्रीडाकेन्द्रों, व्यायामशाला आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना तथा निर्धन अनाथ अपंग बच्चों, मेधावी बच्चों को छावृत्तियॉ दिलाना ।

23– नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यकम बाल टीकाकरण कार्यकमों, गर्भवती महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यकम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

24– नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन,पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यकमों को व्यापाक स्तर पर चलाना ।

25– समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यकमों एवं जागरूकता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स एवं सोसाइटी
आगरा क्षेत्र आगरा

Shabana

प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेद्य कार्यक्रम चलाना ।

26– देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।

27– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार सहयोग देना । राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना ।

28– संस्था का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं शिक्षा सस्थानों, निशुल्क औषाधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना ।

29– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चें पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना ।

30– निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सॉस्कृतिक कला केन्द्रों व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना तथा बच्चों को मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में सहयोग करना।

31– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिगकला प्रशिक्षण, टंकण, पटकथा लेखन, आशुलिपि, संगीत, गायन, वादन, नाट्य कला प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट), इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की मरम्मत, वीडियो एवं फोटोग्राफी, चलचित्र सम्पादन, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल, डिजायनिंग, व्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूता पैदा करना।

32– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार,निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याण कारी योजन्नायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों,आश्रय स्थल एवं की स्थापना/निमार्ण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना ।

33– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करना ।

34– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना ।

35– सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पडी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढावा देना व अवैध लकडी कटाई को रोकने मे सरकार का सहयोग करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी तथा चिट फण्ड
आगरा क्षेत्र आगरा

36– ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भेड पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन, पशुपालन आदि को बढावा देना, तथा फ्लोरिकल्चर, एवं अन्य उन्नतकृषि को बढावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गॉवों का सर्वांगीण विकास करना ।

37– पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयेाजन करना ।

38– खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का सस्था के हितार्थ उद्‌देश्यों की पूति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

39– जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यॉत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्मों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना ।

40– समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों विकलॉगों व निराश्रित, लाचार बच्चों–बृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यकरना, बालआश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

41– विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एवं बेरोजगार युवक–युवतियों एवं विधवा अनाथ परित्यक्ता महिलाओं, एवं वृद्धजनों,व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर नागरिक बनाना ।

42– उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्मों की ओर आकर्षित करना ।

43– अपरम्परिक ऊर्जा श्रोत संयत्रों गोवर गैस सौर्य ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्मो का प्रदर्शन एवं विकास करना।

44– अल्पसंख्यकों , पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय विद्यालयों, मदरसों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यक्म, एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्मों की व्यवस्था करना ।

45– महिलाओं को स्वरोगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहाता समूहो का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

46– निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसेस्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधी महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग,समाज कल्याण विभाग, डी0आर0डी0ए0, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रम मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय राजीव गॉधी फाउन्डेशन विश्व स्वास्थय संगठन विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्मो को चलाकर नागरिको का सर्वांगीण विकास करना।

सत्य प्रतिलिपि

Shabana

उप निबन्धक
चिट फण्ड फर्म्स तथा सोसाइटी
आगरा क्षेत्र आगरा

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम — चिराग सोसाइटी,
(चाइल्ड ह्यूमन आईडलाइज टु राइट अपील फार ग्रेट आनरेबिल)

2.संस्था का पता — शीतल खॉ रोड, फिरोजाबाद

3.संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा ।

4.संस्था के उद्देश्य — संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार ही होंगे ।

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग —

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे । जो निम्न वर्ग के होंगे–

संरक्षक सदस्य–

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य–

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य–

जो सज्जन इस संस्था को 250/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य–

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन, धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6–सदस्यता की समाप्ति–

1– सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया तथा घोषित होने पर ।
2– आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3– किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर
4– सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5– संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थिति रहने पर ।
6– किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7– त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

Shabana

उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा मं० , आगरा

15776

स. **सूचना अवधि** :–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

द. **गणपूर्ति** :-

गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. **रिक्त स्थानों की पूर्ति** :-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान/ पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

र– **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य**–

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।
2. नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन,साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों,एवं अन्य संस्थानों,बैकों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान चंदा ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय करना ।
5. संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल– कार्यकाल–

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– अध्यक्ष–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3– संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व विद्यालयों में कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

4– संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों,ऋण, अनुदान, पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बंन्धक बिलेखों, बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

5– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा मं०, आगरा

7–संस्था के अंग– अ– साधारण सभा
ब– प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– अ– गठन–

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब– बैठकें–

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स– सूचना अवधि–

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यो को दी जायेगी ।

द– गणपूर्ति–

गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा ।

य– विशेष वार्षिक अधिवेशन–

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी ।

र– साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, सोसा0रजि0अधि0की संगत धाराओं के अन्तर्गत 2/3 बहुमत से करना।

3– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

अ– गठन–

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा मे से बहुमत से 15 सदसयों को चुनकर किया जायेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव, एक काषाध्यक्ष एक लेखापरीक्षक एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है। जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी।

ब– बैठकें–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बेठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

Shabana

Shan

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

14716

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

सचिव–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना,मीटिंग कार्यवाही लिखना।

2– संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना ।

3– संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।

4– संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था केउद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपसचिव–

सस्था के सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना, सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष–

1– संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

2– संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान,अनुदान,चंदा आदि प्राप्त करना ।

3– सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व बिल बाउचरों का भुगतान करना ।

लेखापरीक्षक–

संस्था के आय–व्यय के लेखा जोखा का निरीक्षण करना एवं सत्र समाप्ति पर से आडिट करना एवं प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों ।

11– संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन, सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12– संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं0, आगरा
14716

13— संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) :—

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टैन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14— संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः—

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के अध्यक्ष द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15— संस्था के अभिलेख :—

1— सदस्यता रजिस्टर
2— कार्यवाही रजिस्टर
3— कैशबुक,रसीद बुक एजेण्डा रजिस्टर
4— निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

17— संस्था का विघटन :—

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक— 12.3.16

सत्यप्रतिलिपि

Shabana

Shoer

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं०, आगरा
14.3.16

संस्था का नाम :- चिराग सोसाइटी,
शीतल खॉ रोड,फिरोजाबाद

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूँची वर्ष:-2024-2025

क्रं0सं0 नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1-मोहम्मद जफर आलम	स्व0मो0 सलीम	गली नं0-7,शीतल खॉ रोड,फिरोजाबाद।	अध्यक्ष	स0सेवा
2-श्रीमती संगीता शर्मा	श्री योगेश कुमार शर्मा	229/9 दुर्गा नगर फिरोजाबाद ।	उपाध्यक्ष	स0सेवा
3-श्री उमर आलम	मो0 सलीम	शीतल खॉ गली नं0-7 फिरोजाबाद ।	सचिव	शिक्षण कार्य
4-श्री नजमुल इस्लाम	श्री आफताब अहमद	188 शीतल खॉ रोड, फिरोजाबाद।	उपसचिव	स0सेवा
5-मौ0 शारिक	श्री जहीर हसन	नूर नगर, फिरोजाबाद।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6-श्री महाराज सिंह	श्री रामस्वरूप	सरजीवन नगर,गली नं0-4 फिरोजाबाद	लेखापरीक्षक	सेवा नि0
7-श्रीमती जीत चांदना	श्री विजय कुमार चांदना	60 फुटा रोड, नगला बरी	सदस्य	गृहकार्य
8-श्री कमालुद्दीन	श्री बाबू खॉ	शीतल खॉ रोड,फिरोजाबाद।	सदस्य	व्यापार
9-श्री फैज आलम	श्री मौ0 कमर आलम	हसमत नगर,फिरोजाबाद।	सदस्य	व्यापार
10-श्री ब्रज मोहन	श्री रामकिशन	अशर्फी नगर, हिमॉयूपुर फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार

236

सोसाइटी अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं प्रमाणित नहीं हैं। पत्रावली पर पृष्ठ सं0 236 पर उपलब्ध हैं।

वरिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
05/09/24